संपदा निदेशालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक संबद्ध कार्यालय है। यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई महानगरों तथा पाँच अन्य शहरों/नगरों, जिनके नाम शिमला, चंडीगढ़, गाजियाबाद, फरीदाबाद और नागपुर है, में भारत सरकार संपदा के प्रशासन और प्रबंधन (रिहायशी आवासों और कार्यालय भवनों) के लिए जिम्मेदार है। शेष शहरों तथा नगरों में केंद्र सरकार सम्पदा का प्रबंधन केलोनिवि द्वारा किया जाता है। दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नागपुर और मुंबई की सरकारी कॉलोनियों में बाजारों के प्रशासन के लिए भी संपदा निदेशालय जिम्मेदार है। स्थावर संपत्ति, अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952, अप्राधिकृत अधिभोगियों से बेदखली के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम) 1971 तथा मंत्री रिहायशी नियमावली, 1962 का प्रबंधन भी सम्पदा निदेशालय के पास ही निहित है। यह ग्रांड होटल शिमला के हॉलिडे होम तथा विभिन्न शहरों/नगरों में अन्य सरकारी हॉस्टलों के प्रशासन को नियंत्रित करता है। यह सरकारी आवास (दिल्ली में सामान्य पूल) और विज्ञान भवन के आबंटन के लिए भी जिम्मेदार है।

सम्पदा निदेशक विभागाध्यक्ष हैं। निदेशालय के कार्यक्रमों और नीतियों के निष्पादन में उनकी सहायता सम्पदा निदेशक-II द्वारा की जाती है। निदेशकों को उनके कार्यों के निर्वहन में उपनिदेशकों,सहायक निदेशकों, अधीक्षक लेखा और अन्य कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है

वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल में अतिथि आवास

लोकसभा सांसदों तथा राज्य सभा सांसदों के लिए भी अलग आवासीय पूल है। अतिथि आवासों की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से, वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अतिथियों को आबंटन हेतु 21 स्वीट आरक्षित रखे जाते हैं।

विज्ञान भवन/ विज्ञान भवन एनेक्सी में सम्मेलन

विज्ञान भवन का निर्माण 1956 में किया गया था। यह भवन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों तथा निजी संगठनों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा अन्य बैठकों का मुख्य केन्द्र है। संपदा निदेशालय 02.12.1992 से विज्ञान भवन का अभिरक्षक है।

स्वचालित आबंटन प्रणाली (एएसए) की शुरूआत:

पूर्ण पारदर्शिता लाने, त्वरित आबंटन करने, आवासों के अधिक अधिभोग और आवेदकों को उनकी पसंद का आवास लेने में समर्थ बनाने के मद्देनजर संपदा निदेशालय ने जीएएमएस के अधीन स्वचालित आबंटन प्रणाली शुरू की है।

वर्ष 2014-15 के दौरान प्रणाली को सुव्यवस्थित बना दिया गया है एवं एएसए में निम्नलिखित क्रियाकलापों को ऑनलाइन कर दिया गया है

1. आवेदक के संबंधित कार्यालयों में डीई-2 फार्म को ऑनलाइन जमा किया जाना ।
2. आबंटी के संबंधित कार्यालयों में ऑनलाइन आबंटन की स्वीकृति।
3. बेबाकी प्रमाण-पत्र आवेदन ऑनलाइन जमा किया जाना ।
4. संबन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा विवरणों का सत्यापन।
5. किराया बिल जारी करना।
6. प्राधिकार पर्ची जारी करना ।
7. वास्तविक कब्जा लेने के बाद किराया बिल को अद्यतन किया जाना ।

8. ऑनलाइन तकनीकी एवं वास्तविक कब्जा ।
9. हॉलिडे होम और टूरिंग ऑफिसर्स हॉस्टल के संबंध में कमरे की बुकिंग हेतु ऑनलाइन भुगतान की सुविधा संपदा निदेशालय की वेबसाइट **www.holidayhomes.nic.in** के माध्यम से शुरू की गई है।
10. विवाह/सामाजिक प्रयोजनों हेतु 5, अशोक रोड की ऑनलाइन बुकिंग ।

सूचना सुविधा केन्द्र:

संपदा निदेशालय में आगंतुकों की सुविधा के लिए सूचना सुविधा केन्द्र (आईएफसी)दिनांक 14.07.1997 से भू तल (द्वार संख्या 2 के समीप) निर्माण भवन, नई दिल्ली में कार्य कर रहा है। निदेशालय आने वाले सरकारी अधिकारियों तथा जनता के लिए आईएफसी एक फ्रंट कार्यालय के रूप में कार्य करता है। सूचना सुविधा केन्द्र सामान्य पूल रिहायशी आवास से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं भी उपलब्ध करवाता है ।

1. संपदा निदेशालय की वेबसाइट अर्थात **http://estates.gov.in,http://gpra.nic.in** और http://holidayhome.nic.in व्यक्ति के पंजीकरण से संबंधित जीएएमएस पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी, आवासों का स्टॉक, प्रतीक्षा सूची की सूचना, लाइसेंस शुल्क, योग्य कार्यालयों की सूची, होलिडे होम्स में कमरों की उपलब्धता के साथ-साथ अधिकारियों के हॉस्टल और ऑनलाइन बुकिंग और उसके भुगतान आदि को प्रदर्शित करती है।
2. निर्माण भवन में सूचना सुविधा केन्द्र सभी कार्य दिवसों को 9.30 (पूर्वा.) से 6.00 (अपरा.) तक खुला रहता है।